

कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी रामानुजगंज, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज (छ०ग०)

क्रमांक / / भू-अर्जन / अविअ / 2019

बलरामपुर दिनांक / / 2019

प्रति,

उप नियंत्रक,
शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय,
खैरागढ़ रोड़ (चिखली)
राजनन्दगांव (छ०ग०)

विषय :- छत्तीसगढ़ राजपत्र में अधिसूचना का प्रकाशन बावत्।

—0—

विषयांतर्गत कार्यपालन अभियन्ता, जल संसाधन संभाग क्र०-02, रामानुजगंज, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज (छ०ग०) द्वारा खुटपाली व्यपवर्तन योजना के चिरकोमा डिस्ट्रीब्यूट्री नहर निर्माण हेतु, ग्राम-चन्दरपुर रा०नि०मं०-बलरामपुर, तहसील-बलरामपुर जिला बलरामपुर-रामानुजगंज (छ०ग०) के रकबा 9.87 हेक्टेयर भूमि का अर्जन किया जाना है। भूमि अर्जन, पुनर्वास तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के तहत अधिसूचना के प्रकाशन हेतु तीन प्रतियां संलग्न कर आपकी ओर भेजी जा रही है। कृपया छत्तीसगढ़ राजपत्र के आगामी अंक में उक्त अधिसूचना का प्रकाशन कराने की व्यवस्था करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

sd
भू-अर्जन अधिकारी
रामानुजगंज

पृ०क्रमांक / 2518 / भू-अर्जन / अविअ / 2019

बलरामपुर दिनांक 01 / 03 / 2019

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, जन सम्पर्क संचालनालय, रायपुर (छ०ग०) की ओर सूचना की 05 प्रतियां संलग्न कर आपकी ओर भेजी जा रही है। कृपया दो स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित कराकर दैनिक समाचार का नाम एवं प्रकाशन तिथि से इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।
2. कलेक्टर, (भू-अर्जन शाखा) बलरामपुर-रामानुजगंज की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
3. कार्यपालन अभियन्ता, जल संसाधन संभाग क्र०-02, रामानुजगंज, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज को सूचनार्थ एवं घोषणा पत्र का प्रकाशन हेतु आवश्यक सहयोग बावत् सम्प्रेषित।
4. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एन०आई०सी० कलेक्टर कार्यालय जिला बलरामपुर-रामानुजगंज को जिले के वेबसाईट पर अप-लोड करने हेतु सम्प्रेषित।
5. तहसीलदार, बलरामपुर को अधिसूचना की पांच प्रतियों के साथ प्रेषित। कृपया संबंधित ग्राम में अधिसूचना का प्रकाशन कराये तथा संबंधित ग्राम एवं पंचायत भवन तथा अपने कार्यालय के सूचना बोर्ड पर चस्पा कराकर एक प्रति अपनी रिपोर्ट सहित इस कार्यालय को वापस भिजवाना सुनिश्चित करें।
6. कार्यालयीन नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

Boneyee
भू-अर्जन-अधिकारी
रामानुजगंज

कार्यालय कलेक्टर, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज (छ0ग0) पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

-: अधिसूचना :-

बलरामपुर दिनांक 28/01/2019

क्रमांक 1161/अ-82/2017-18 :::: चूंकि राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित भूमि को खुटपाली व्यपवर्तन योजना के चिरकोमा डिस्ट्रीब्यूट्री नहर निर्माण हेतु। (सार्वजनिक प्रयोजन) के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के तहत यह घोषित किया जाता है कि इस भूमि का उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

-: अनुसूची :-

भूमि का वर्णन :-

(1) जिला	-	बलरामपुर-रामानुजगंज
(2) तहसील	-	बलरामपुर
(3) ग्राम/नगर	-	चन्दरपुर
(4) प0ह0नं0	-	17
(5) भूमि का क्षेत्रफल	-	9.87

खसरा नम्बर	(रकबा हे0में0)
124	0.16
136	0.85
133	0.06
208/2	0.08
134	0.06
144	0.02
205	0.01
216	0.58
137/3	0.10
137/4	0.10
137/1	0.11
137/2	0.10
139	0.06
147	0.02
212	0.02
217	0.38
140	0.06
214	0.55
142	0.22
122	0.08
129	0.01
143	0.06
135	0.06
145	0.02
209/1	0.09


211	0.02
218	0.12
145	0.02
213	0.02
148	0.45
149/1	0.23
149/2	1.20
150	0.12
151	0.18
208/1	0.32
209/2	0.08
123	0.32
27	0.07
33	0.04
210	1.61
138	0.39
152/1	0.72
152/2	0.10
योग :- 43	9.87


2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रामानुजगंज के कार्यालय में किया जा सकता है।
3. उक्त भूमि अर्जन में किसी भी व्यक्ति का विस्थापन निहित नहीं है।

अथवा

उक्त योजना के लिए अनुमोदित पुनर्वास योजना के अनुसार प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित..... 0 व्यक्तियों का पुनर्वासित किया जाना प्रस्तावित है। पुनर्वास तथा पुनर्व्यस्थापन हेतु ग्राम -चन्दरपुर, तहसील-बलरामपुर, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज (छ0ग0) की भूमि ख0नं0... 0 रकबा 0 हेक्टर का चयन किया गया है। पुनर्वास योजना का अवलोकन प्रकाशन/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रामानुजगंज के कार्यालय में किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार।


भू-अर्जन अधिकारी
रामानुजगंज
जिला बलरामपुर-रामानुजगंज(छ0ग0)


(हीरा लाल नायक)
कलेक्टर
जिला बलरामपुर-रामानुजगंज एवं
पदेन उप सचिव छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आदि प्रबंधन विभाग

